

कार्यालय जनपद न्यायाधीश, गोरखपुर

(केन्द्रीय नजारत अनुभाग)

नीलामी सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि कैष कार्यालय आवास जनपद न्यायाधीश, गोरखपुर में आम के पुराने पेड़ की गोटी ढाल दृट कर गिर गयी थी। उक्त आम की गोटी ढाल का बूनदाम मूल्यांकन मुद्रा 4260/- रुपये (रुपये चार हजार दो सौ साठ मात्र) निर्धारित किया गया है। इधरुक घटित दिनांक 06.06.2023 तक प्रातःकाल 11:00 बजे से अपराह्न 1:00 बजे तक नजारत अनुभाग में आकर नीलामी हेतु निर्धारित घनराशि मुद्रा 1,000/- जमा कर बोली में भाग ले सकता है। उक्त आम के पेड़ की नीलामी दिनांक 07.06.2023 को अपराह्न 4:00 बजे इस न्यायिक प्रतिष्ठान के 24 कर्तीय न्यायालय भवनखण्ड के सप्ताम तल पर स्थित मीटिंग हॉल में की जायेगी।

नीलामी प्रक्रिया की नियम व शर्तें माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद की आधिकारिक वेबसाईट www.allahabadhighcourt.in एवं जनपद न्यायालय, गोरखपुर की आधिकारिक वेबसाईट <https://districts.ecourts.gov.in/gorakhpur> पर उपलब्ध है। इसके अतिरिक्त नीलामी से सम्बन्धित अन्य विवरण न्यायालय के सूचना पट्ट अथवा केन्द्रीय नजारत से किसी भी कार्य दिवस को प्राप्त की जा सकती है। दिनांक 07.06.2023 को होने वाली नीलामी में अधिक से अधिक बोलीदाताओं की उपरिथित सुनिश्चित कराने हेतु नीलामी सूचना को जनपद मुख्यालय के विभिन्न सार्वजनिक स्थलों, कार्यालयों एवं प्रमुख समाचार-पत्रों में प्रकाशित किया जाये।

दिनांक: 01.06.2023


०१/६/२३
(सुबोध वार्ण्णी)
अध्यक्ष, नीलामी समिति
विशेष न्यायाधीश(यू.पी.एस.ई.डी.),
गोरखपुर

प्रतिलिपि सूचनार्थ प्रेषित:-

- नाजिर, आयुक्त कार्यालय, गोरखपुर।
- नाजिर, सादर कलेक्ट्रेट, गोरखपुर।
- नाजिर, तहसील सदर, गोरखपुर।
- मुख्य नगर अधिकारी, नगर-निगम, गोरखपुर।
- मुख्य विकास अधिकारी, विकास भवन, गोरखपुर।
- जिला सूचना अधिकारी, गोरखपुर में समाचार पत्र में निःशुल्क प्रकाशन हेतु।
- सूचना पट्ट, जनपद न्यायालय, गोरखपुर पर चस्पा करने हेतु।
- रेलवे जंक्शन, गोरखपुर के नोटिस बोर्ड पर चस्पा करने हेतु।
- बस रेटेशन, गोरखपुर के नोटिस बोर्ड पर चस्पा करने हेतु।
- सिस्टम ऑफिसर, जनपद न्यायालय, गोरखपुर को माननीय उच्च न्यायालय एवं जनपद न्यायालय, गोरखपुर की आधिकारिक वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।

कार्यालय जनपद न्यायाधीश, गोरखपुर

(केन्द्रीय नजारत अनुभाग)
नीलामी सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि कैम्प कार्यालय आवास जनपद न्यायाधीश, गोरखपुर में आम के पुराने पेड़ की मोटी डाल टूट कर गिर गयी थी। उक्त आम की मोटी डाल का न्यूनतम मूल्यांकन मुवा 4260/- रुपये (रुपये चार हजार दो सौ साठ मात्र) निर्धारित किया गया है। इच्छुक व्यक्ति दिनांक 06.06.2023 तक प्रातःकाल 11:00 बजे से अपराह्न 1:00 बजे तक नजारत अनुभाग में आकर नीलामी हेतु निर्धारित धनराशि मुवा 1,000/- जमा कर बोली में भाग ले सकता है। उक्त आम के पेड़ की नीलामी दिनांक 07.06.2023 को अपराह्न 4:00 बजे इस न्यायिक प्रतिष्ठान के 24 कक्षीय न्यायालय भवनखण्ड के सप्तम तल पर स्थित मीटिंग हॉल में की जायेगी।

नीलामी की नियम व शर्तें इस प्रकार हैं

1. नीलामी में भाग लेने वाले प्रत्येक व्यक्ति को अपना आधार कार्ड, पहचान पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा, अन्यथा उसे नीलामी में भाग लेने से वंचित कर दिया जायेगा।
2. सबसे अधिक बोली बोलने वाले व्यक्ति के पक्ष में नीलामी स्वीकृत की जायेगी किन्तु जनपद न्यायाधीश जो स्वीकृतिकर्ता अधिकारी है, को अन्तिम निर्णय लेने का अधिकार होगा।
3. अधिकतम बोली बोलने वाली व्यक्ति को नीलामी की कार्यवाही समाप्त होने पर बोली की सम्पूर्ण धनराशि केन्द्रीय नजारत में जमा करना होगा अत्यथा उसके पक्ष में नीलामी स्वतः समाप्त समझी जायेगी और सम्पूर्ण जमा की गयी धनराशि जब्त कर ली जायेगी।
4. नीलामी में भाग लेने वाले व्यक्ति को नीलामी में भाग लेने से पूर्व इस आशय का शपथ—पत्र भी प्रस्तुत करना होगा कि उसके विरुद्ध न तो कोई आपराधिक मामला पंजीकृत हुआ है और नहीं कोई मामला किसी भी न्यायालय में विचाराधीन है।
5. नीलामी प्राप्त करने वाले व्यक्ति को वन विभाग, गोरखपुर में जॉचोपरान्त उत्पादित प्रकाष्ठ के फैक्टर के अनुसार 38 रु० प्रति टन की दर से तथा 75 रु० सम्पत्ति घन रजिस्ट्रेशन शुल्क जमा करने के उपरान्त वन विभाग, गोरखपुर द्वारा अभिवहन पास निर्गत करने की कार्यवाही की जायेगी।

६२/३१५३
(प्रभाष त्रिपाठी)

सदस्य
नीलामी समिति

अपर सिविल जज
(सी०डिं०), को०सं०-२

६२/३१५३
(रोहित सिंह)

सदस्य
नीलामी समिति

अपर जनपद न्यायाधीश
पाक्सो एक्ट-४

६२/३१५३
(सुबोध वार्ष्ण्य)

अध्यक्ष
नीलामी समिति

विशेष न्यायाधीश
(यू.पी.एस.ई.बी.), गोरखपुर